सुरक्षा, शांति और समृद्धि

सजग भारत

16-30 सितंबर, 2023 वर्ष-1 अंक-12

निःशुल्क प्रति

क्षेत्रीय परिषद से मजबूत होती

सहकारी संघवाद

की भावना

अब नीतियों के निर्धारण में भी योगदान देंगी महिलाएं

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

अनुक्रमणिका

संवाद से समाधान की ओर	10
एक नहीं, अनेक हैं क्षेत्रीय परिषद की सफलताएं	12
आर्थिक उन्नति के बने नए अवसर	14
विकसित भारत की एक नई पहचान	19
लंबित मामलों को कम करने के लिए गृह मंत्रालय...	21
अब नीतियों के निर्धारण में भी योगदान देंगी महिलाएं	22
संवेदना के साथ आगे बढ़ रहा है देश	25
सहकारी संघवाद के आदर्श स्थापित करती मोदी सरकार	26

विशेष रिपोर्ट

05 क्षेत्रीय परिषद से मजबूत होती सहकारी...

16 क्षेत्रीय परिषद की बैठकों से निकलती नई राह

18 अगले 20 वर्ष पिछले 20 वर्षों से अधिक महत्वपूर्ण

संपादक की कलम से...

बालाजी श्रीवास्तव
महानिदेशक, बीपीआरएंडडी

> पिछले 9 वर्षों में क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में 1000 से अधिक विषयों पर चर्चा हुई और उनमें से 93 प्रतिशत मुद्दों को सुलझा लिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद संविधान निर्माताओं ने देश के राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को राज्यों के संघ के रूप में निर्मित किया। भारतीय संघवाद की इस परिभाषा के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा करने का प्रयास किया गया था ताकि देश की विविधताओं के बीच एकता की भावना को समाहित रखा जा सके।

इसके बावजूद राज्यों और केंद्र के बीच सामूहिक संवाद की कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं की गई थी। 1983 में गठित सरकारिया आयोग ने इस कमी को समझा और उसकी अनुशंसा पर 1990 में संविधान की धारा 263 के तहत एक संवैधानिक संस्था के रूप में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई।

चूंकि भारत एक विशाल लोकतंत्र है इसलिए इसकी जटिलताएं भी बड़ी हैं। यहां वित्तीय और प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे का मसला आता रहता है। क्षेत्रीय परिषद एक संस्था के रूप में आपसी संवाद, सहयोग से विवादों के समाधान के लिए एक अहम प्लेटफार्म प्रदान करता है। क्षेत्रीय परिषद की बैठकों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ कर संवाद करते हैं, वहीं नियमित रूप से राज्यों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत और तात्कालिक मसलों के समाधान के लिए माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में स्थायी समिति और क्षेत्रीय परिषदें भी लगातार काम करती रहती हैं।

एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में स्थित राज्यों से मिलकर बनी हुई क्षेत्रीय परिषदों ने क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में इन परिषदों ने सामूहिक योजना बनाने और विकास के लिए की गई पहलों को सफलतापूर्वक लागू करने में बहुत मदद की है। इनसे विभिन्न क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं के साथ समान विकास सुनिश्चित करने में आसानी हुई है।

इन प्रयासों ने देश के संघीय ढांचे और समायोजित प्रशासन की आकांक्षाओं को भी पूरा किया है। सहकारी संघवाद की अवधारणा को अपना कर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसे और मजबूत किया है और इससे राज्यों में परस्पर एकता की भावना को भी बल मिला है।

'सजग भारत' के इस अंक में हमने इस अहम मुद्दे को प्रमुखता दी है। आप इस पर अपने सुझाव और प्रतिक्रिया अवश्य दें। हमारा ईमेल है : sajag-bharat@bprd.nic.in आपकी टिप्पणियों से हमारे प्रयासों को मजबूती मिलती है।

जय हिन्द!

नारी शक्ति वंदन अधिनियम का ऐतिहासिक रूप से पास होना इस बात का भी प्रमाण है कि जब पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार होती है, तो देश कैसे बड़े फैसले लेता है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

शक्ति के बिना न्याय शक्तिविहीन होता है और न्याय के बिना शक्ति अत्याचारी हो जाती है। न्याय ही है, जो बैलेंस बनाकर रखता है। न्याय और हर प्रकार की शक्ति का संतुलन बहुत आवश्यक है, तभी न्यायपूर्ण समाज की रचना हो सकती है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

महिला आरक्षण नए भारत में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023' जैसे मोदी सरकार के निर्णयों से महिलाओं का तो विकास हो ही रहा है, साथ ही पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं के नेतृत्व में कैसे देश आगे बढ़े इसके लिए भी भगीरथ और सतत प्रयास फलीभूत हुआ है।

श्री नित्यानंद राय
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

A golden start by our #NariShakti as they script history by bagging the gold medal in cricket, making it a memorable debut at the #AsianGames. A thrilling performance with a nail-biting finish demonstrated the grit & passion of our #WomenInBlue.

Shri Nisith Pramanik
MoS, Ministry of Home Affairs

भारत की बेटियों ने रचा इतिहास! एशियाई खेलों में भारत के नाम दूसरा स्वर्ण, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 19 रनों से हराया।

श्री अजय मिश्रा
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा लोक सभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट किया।

गृह मंत्रालय
भारत सरकार

क्षेत्रीय परिषद से मजबूत होती सहकारी संघवाद की भावना

ब्यूरो

विविधता से परिपूर्ण भारत में विभिन्न राज्यों के हितों और आकांक्षाओं में सामंजस्य बिठाना एक बड़ी चुनौती है। यह एक ऐसा कार्य है, जो एक ऐसे मंच की मांग करता है, जहां राज्य एक साथ आ सकें, अपनी चिंताओं को साझा कर सकें और सामूहिक रूप से एक उज्ज्वल भविष्य की कल्पना कर सकें। क्षेत्रीय परिषद यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर जैसे ही क्षेत्रीय परिषदों की बैठक केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने करनी शुरू की, इसमें गुणात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे। बैठकों की संख्या में वृद्धि हुई। समस्याओं के समाधान पर सभी पक्षों को पहले से अधिक सुना जाने लगा। एक राज्य दूसरे राज्यों की बात सुनते और उसके बाद निर्णय होने लगा।

एक राष्ट्र केवल तब ही विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता है, जब केन्द्र व राज्य सरकारें कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ चलें।

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

जहां जरूरी रहा, केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया। सभी सरकारों की यही मंशा रही है कि संघवाद से जनता सशक्त हो। समस्याओं का त्वरित और स्थायी समाधान हो।

स्थापना काल के बाद से परिषद की बैठकों और निर्णय में भले ही उतनी गतिशीलता देखने को नहीं मिली हो, लेकिन साल 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसमें सकारात्मक बदलाव देखा गया। असल में, श्री नरेंद्र मोदी जी का दृष्टिकोण सहकारी संघवाद का है, जिसका उद्देश्य मजबूत राज्यों और मजबूत केंद्र को पहचानना है। लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान, उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है और इसलिए जब वे 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्हें विभिन्न राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग के बिंदुओं का और आकलन करने का अवसर मिला। मुद्दों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्षेत्रीय परिषद की पहली बैठक बुलाई, जो 2006 के बाद से नहीं हुई थी।

16 जुलाई, 2016 को नई दिल्ली में बुलाई गई क्षेत्रीय परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमारे जैसे बड़े और विविध लोकतंत्र में, बहस, विचार-विमर्श और चर्चा ऐसी नीति विकसित करने में मदद करती है जो जमीनी हकीकत से संबंधित हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे ऐसी नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सक्षम बनाते हैं। उनका यह भी कहना था कि उस संदर्भ में क्षेत्रीय परिषद एक अंतर सरकारी मंच है, जिसका उपयोग नीति विकसित करने के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भी किया जा सकता है। इसलिए, मैं राज्यों से हमारे लोकतंत्र, हमारे समाज और हमारी राजनीति को मजबूत करने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में इस मंच का तेजी से उपयोग करने का आग्रह करता हूं।

पहली क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उन्होंने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करके अपनी सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने की घोषणा करके उदाहरण स्थापित किया। इसका मतलब था कि राज्यों

देश के विकास में क्षेत्रीय परिषदों का एक लंबा इतिहास रहा है। ये परिषदें केंद्र तथा राज्य के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध, विवादित अंतर्राज्यीय मुद्दों का आम सहमति से समाधान निकालने, राज्यों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने और देशभर में लागू किये जाने वाले साझा राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार विमर्श का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती हैं।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

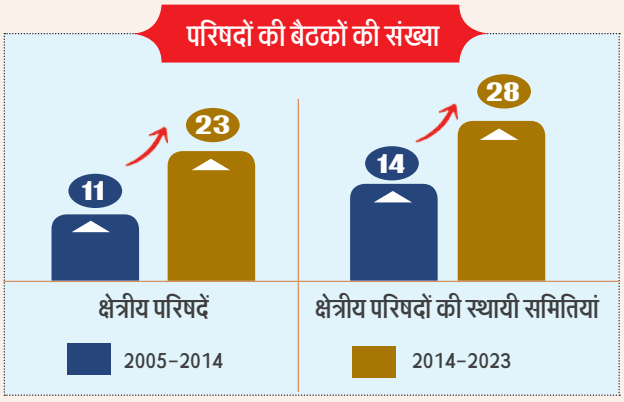

संघीय व्यवस्था में भारत में केंद्र-राज्य संबंधों की जटिलताओं के कारण क्षेत्रीय परिषद जैसी संस्था की आवश्यकता महसूस की गई। संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत क्षेत्रीय परिषद की स्थापना साल 1990 में की गई। इसकी स्थापना से पहले, कई प्रकार की चुनौतियां थीं, जिनमें अंतरराज्यीय विवाद, संसाधनों के बंटवारे से संबंधित मुद्दे और राज्यों के बीच नीति कार्यान्वयन में मतभेद शामिल थे। बीते एक दशक से क्षेत्रीय परिषद के तहत क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में गतिशीलता लाई गई और कई पुरानी समस्याओं का समाधान किया गया।

क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहभागिता

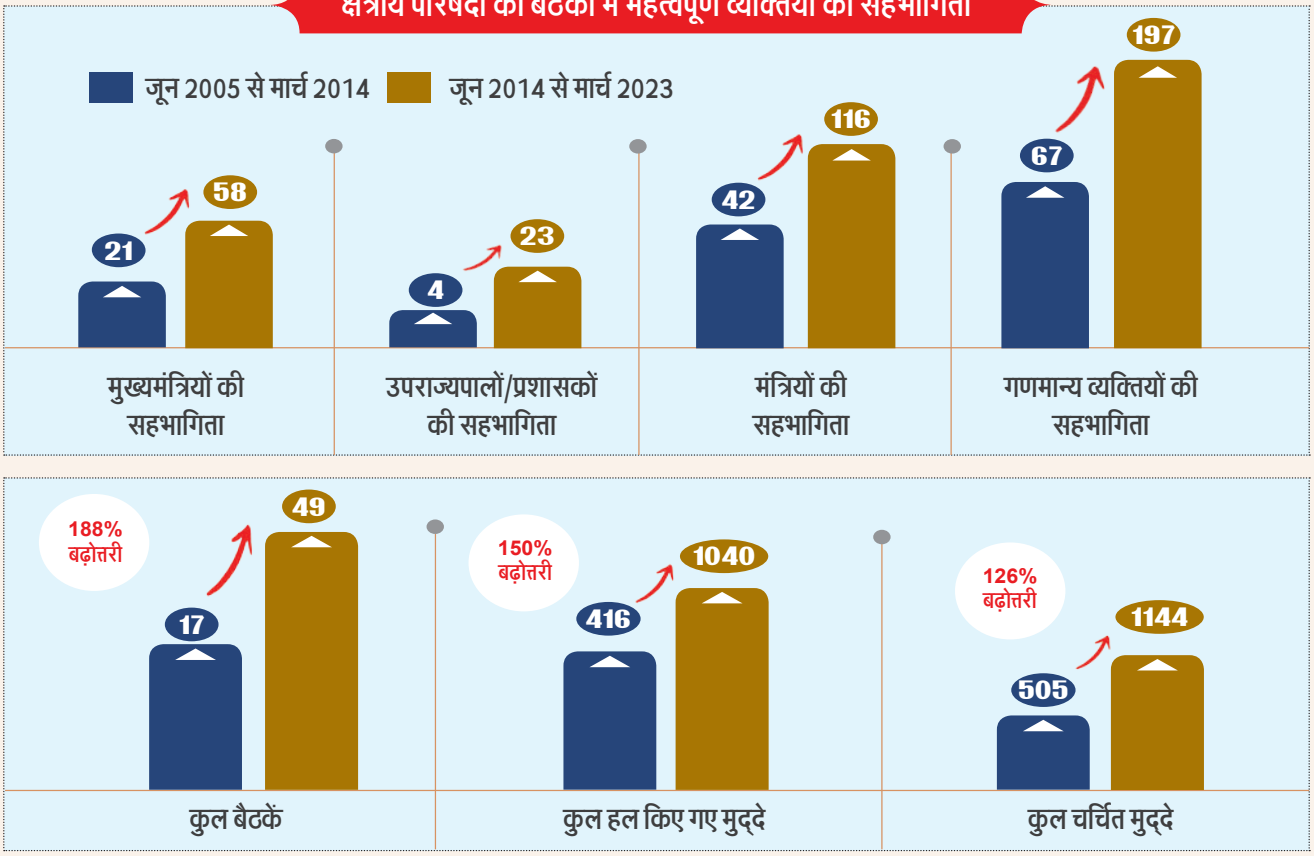

को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग करने के लिए अधिक वित्तीय संसाधन। उन्होंने कहा था कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 2015-16 के दौरान राज्यों को केंद्र से प्राप्त कुल राशि 2014-15 में प्राप्त राशि से 21 प्रतिशत अधिक है।

सहकारी संघवाद के बारे में श्री नरेन्द्र मोदी का दृष्टिकोण केवल राज्यों के द्वार तक ही सीमित नहीं है। वह जमीनी स्तर तक संघवाद के पक्षधर हैं और इसलिए क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उन्होंने घोषणा की कि 14वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को 2.87 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे, जो पिछली बार की तुलना में काफी अधिक थे।

11 जून, 2022 को दीव में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने कहा था कि गृह मंत्रालय के क्षेत्रीय परिषद सचिवालय द्वारा अब राज्य सरकारों के सहयोग से विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें नियमित रूप से बुलाई जा रही हैं। क्षेत्रीय परिषदें सामाजिक और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्यों के बीच चर्चा और विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती हैं। साथ ही क्षेत्रीय परिषद की बैठकों का उपयोग राज्य व संघ शासित प्रदेशों द्वारा अपनी-अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को साझा करने के लिए किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सलाह दी कि प्रत्येक राज्य से सफलता की कहानियों और बैस्ट प्रैक्टिसेस को क्षेत्रीय परिषदों की स्थायी समितियों के सामने प्रस्तुत किया जाए और इन्हें क्षेत्र के अन्य राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों में अपनाने पर चर्चा हो।

आंतरिक सुरक्षा क्षेत्रीय परिषद के एजेंडे में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। देश की आंतरिक सुरक्षा तब तक मजबूत नहीं हो सकती, जब तक हम खुफिया जानकारी साझा करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित नहीं करते और अपनी पुलिस को आधुनिक दृष्टिकोण और तकनीक से लैस नहीं करते। हालांकि, इस दिशा में हम एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। हमें अपनी दक्षता और क्षमता को लगातार बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें लगातार सतर्क और अपडेट रहना चाहिए। श्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार इस ओर काम कर रहा है। क्षेत्रीय परिषदों की बैठक में वे इस ओर ध्यान आकृष्ट कराते रहे हैं। क्षेत्रीय परिषद की बैठक अत्यंत स्वतंत्र एवं स्पष्ट तरीके से विचारों के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री ने सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के एक माध्यम के रूप में आधार की लगभग पूर्ण स्वीकार्यता पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि आधार के परिणामस्वरूप देश के खजाने में उल्लेखनीय बचत हुई है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से अर्जित हुई बचतों की मात्रा को लेकर राज्यों से आंकड़े एकत्र करने को कहा। उन्होंने कहा कि अब सभी डाक घरों को पेमेंट बैंकों के रूप में मान्यता दे दी गई है और यह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को क्रियान्वित करने में काफी मददगार साबित होगा। प्रधानमंत्री ने शिक्षा को लेकर कहा कि सिर्फ शिक्षा का विस्तार ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि फोकस गुणवत्ता पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता की कमी प्रौद्योगिकी के जरिये पूरी की जा सकती है।

एक शीर्ष निकाय के रूप में क्षेत्रीय परिषद के तीन विंग हैं, जो नियमित रूप से केंद्र और राज्यों के बीच संपर्क बनाते हैं। शीर्ष पर क्षेत्रीय परिषद है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी करते हैं और इसके दायरे में स्थायी समिति और क्षेत्रीय परिषदें हैं। स्थायी समिति और क्षेत्रीय परिषद दोनों का नेतृत्व केंद्रीय गृह एवं

भारत के भविष्य को आकार देने में एक गतिशील भूमिका

10 वर्षों के अंतराल के बाद, क्षेत्रीय परिषद की 11वीं बैठक 16 जुलाई, 2016 नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में बुलाई गई। इस बैठक में उनका कहना था कि देश की आंतरिक सुरक्षा तब तक मजबूत नहीं हो सकती, जब तक हम खुफिया जानकारी साझा करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित नहीं करते और अपनी पुलिस को आधुनिक दृष्टिकोण और तकनीक से लैस नहीं करते। हालांकि, इस दिशा में हम एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। हमें अपनी दक्षता और क्षमता को लगातार बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें लगातार सतर्क और अपडेट रहना चाहिए। श्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार इस ओर काम कर रही है। क्षेत्रीय परिषदों की बैठक में वे इस ओर ध्यान आकृष्ट कराते रहे हैं।

हमारे जैसे बड़े और विविध लोकतंत्र में, बहस, विचार-विमर्श और चर्चा ऐसी नीति विकसित करने में मदद करती है जो जमीनी हकीकत से संबंधित हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे ऐसी नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सक्षम बनाते हैं। उस संदर्भ में क्षेत्रीय परिषद एक अंतर-सरकारी मंच है, जिसका उपयोग नीति विकसित करने के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भी किया जा सकता है। उन्होंने राज्यों से हमारे लोकतंत्र, हमारे समाज और हमारी राजनीति को मजबूत करने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में इस मंच का तेजी से उपयोग करने का आग्रह किया।

क्षेत्रीय परिषद भारत के भविष्य को आकार देने में एक गतिशील भूमिका की कल्पना करती है। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच एकता और सहयोग के बंधन को और मजबूत करना है। जैसे-जैसे भारत एक वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, परिषद यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी कि हर राज्य देश की वृद्धि में योगदान दे और उससे लाभ उठाए। भविष्य में गहन संघवाद, अधिक प्रभावी नीति कार्यान्वयन और एक संपन्न भारत का वादा है जहां हर राज्य फलता-फूलता है और केंद्र सह-साझेदार के रूप में मजबूत बनता है। यह राज्यों को एक साथ काम करने, चुनौतियों पर काबू पाने और सामूहिक रूप से समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण भारत की कहानी लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है।

सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह करते हैं।

जयपुर में 9 जुलाई, 2022 को उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि उत्तरी क्षेत्र में राज्यों के बीच परस्पर और केंद्र तथा राज्यों के बीच समस्याओं का समाधान देश के विकास व संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले 2019 में चंडीगढ़ में हुई उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में 18 मुद्दों पर चर्चा हुई थी और इनमें से 16 मुद्दों का समाधान निकाल लिया गया। गृह मंत्री ने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा विभिन्न माध्यमों के जरिए साइबर सावधानी संबंधी जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। साइबर अपराधों के राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और आर्थिक गतिविधि पर गहरे प्रभाव के दृष्टिगत परिषद ने राष्ट्र के साइबर स्पेस की सुरक्षा और समग्र नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया। श्री अमित शाह ने केंद्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विकसित कॉमन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने, चिंतनीय विषयों को चिन्हित करने के लिए मिलकर काम करने और अपराधियों का पता लगाकर और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सलाह दी।

28 अगस्त, 2023 को गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री ने क्षेत्रीय परिषद के सदस्य राज्यों से राष्ट्रीय महत्व के तीन मुद्दों-पोषण अभियान, स्कूली बच्चों की ड्रॉपआउट दर को कम करने और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ हर गरीब तक पहुंचाने पर संवेदनशीलता के साथ काम करने को कहा। श्री शाह ने कहा कि देश के 60 करोड़ लोगों को अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का एकमात्र माध्यम सहकारिता है जिससे करोड़ों लोग देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश में 2 लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियां गठित करने और मौजूदा प्राथमिक कृषि ऋण समितियां को वायबल बनाने से सहकारिता क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आएगा।

असल में, क्षेत्रीय परिषद भारत के भविष्य को आकार देने में एक गतिशील भूमिका की कल्पना करती है। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच एकता और सहयोग के बंधन को और मजबूत करना है। जैसे-जैसे भारत एक वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, परिषद यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी कि हर राज्य देश

केंद्र-राज्य और अंतरराज्यीय संबंधों को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय परिषद निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण मंच है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

की वृद्धि में योगदान दे और उससे लाभ उठाए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में क्षेत्रीय परिषद के प्रावधानों के तहत 1,000 से अधिक विषयों पर चर्चा हुई और उनमें से 93 प्रतिशत का समाधान किया गया, जो एक बड़ी उपलब्धि है। भविष्य में गहन संघवाद, अधिक प्रभावी नीति कार्यान्वयन और एक संपन्न भारत का वादा है जहां हर राज्य फलता-फूलता है और केंद्र सह-साझेदार के रूप में मजबूत बनता है। ■

दृढ़ इच्छाशक्ति और सटीक निर्णयों से आए ये परिणाम

- पांच किमी के दायरे में हर गांव तक बैंकिंग सुविधा
- देश में 2 लाख नई पैक्स का गठन
- कुपोषण को समाप्त करना
- स्कूली बच्चों का शून्य ड्रॉपआउट
- वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित जिलों में बुनियादी सुविधाओं का निर्माण
- सहकारिता आंदोलन को गति देना
- कोदो और कुटकी उपज के मूल्य को रागी के एमएसपी के बराबर तय करने का निर्णय
- लाख उत्पादन को मौसम आधारित फसल बीमा योजना में शामिल करने के लिए आईसीएआर द्वारा अध्ययन
- पानी के बंटवारे संबंधी आपसी विवादों को खुले मन और आपसी विमर्श से सुलझाना

संवाद से समाधान की ओर

ब्यूरो

26 सितंबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने पंजाब के अमृतसर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की। परिषद ने कुल 28 मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री के आह्वान पर परिषद ने चंद्रयान-3 की शानदार सफलता, जी-20 शिखर सम्मेलन में भारत के नेतृत्व और वैश्विक कल्याण की विश्वव्यापी सराहना और संसद द्वारा पारित ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक का स्वागत किया। गृह मंत्री ने देश में सहकारी आंदोलन, स्कूली बच्चों की ड्रॉपआउट दर और कुपोषण जैसे मुद्दों को सामूहिक प्राथमिकता बताते हुए सभी सदस्य राज्यों से इस पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही इन बातों पर भी जोर दिया कि देश में एक भी बच्चा कुपोषित नहीं रहे और स्कूल ड्रापआउट समाप्त हो, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। सहकारी आंदोलन को गति देने से देश के 60 करोड़ से अधिक लोगों के विकास की राह प्रशस्त होगी।

बैठक में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक, सदस्य राज्यों के वरिष्ठ मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, सचिव, अंतर-राज्य परिषद सचिवालय, सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव उत्तरी क्षेत्र और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

परिषद को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका सलाह देने से बढ़कर एक एक्शन प्लेटफार्म के रूप में साबित हुई है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का देश के विकास और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है और देश की 21 प्रतिशत भूमि और 13 प्रतिशत जनसंख्या के साथ 35 प्रतिशत से अधिक खाद्यान्न उत्पादन उत्तरी क्षेत्र में ही होता है। श्री शाह ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सेना में सबसे अधिक जवान उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से आते हैं। सरकार को नारकोटिक्स और आतंकवाद पर नकेल कसने में कामयाबी मिली है। सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करने के प्रति सरकार कटिबद्ध है। जल्द ही हमारी सीमाओं पर एंटी-ड्रोन प्रणाली की तैनाती होगी। उन्होंने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के सभी सदस्य राज्यों से पानी के बंटवारे संबंधी आपसी विवादों को खुले मन और आपसी विमर्श से सुलझाने का अनुरोध किया।

> **उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का देश के विकास और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, देश की 21 प्रतिशत भूमि और 13 प्रतिशत जनसंख्या के साथ 35 प्रतिशत से अधिक खाद्यान्न उत्पादन उत्तर क्षेत्र में होता है।**
>
> **श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका की सराहना करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि यद्यपि क्षेत्रीय परिषदों की प्रकृति सलाहकार की है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, क्षेत्रीय परिषदें विभिन्न क्षेत्रों में आपसी समझ और सहयोग के स्वस्थ समन्वय को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कारक साबित हुई हैं। क्षेत्रीय परिषदें सदस्यों के बीच उच्चतम स्तर पर व्यक्तिगत बातचीत का अवसर प्रदान करती हैं और सौहार्द और सद्भावना के माहौल में कठिन और जटिल प्रकृति के मुद्दों को हल करने के लिए एक उपयोगी मंच के रूप में कार्य करती हैं। क्षेत्रीय परिषदें, चर्चा और विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से, सामाजिक और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्यों के बीच एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती हैं। क्षेत्रीय परिषदें राज्यों के सामान्य हित के मुद्दों पर भी चर्चा और सिफारिशें करती हैं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने हिमाचल प्रदेश में आई भीषण बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन देते हुए कहा कि पूरा देश इस संकट की घड़ी में हिमाचल प्रदेश के साथ खड़ा है। श्री अमित शाह के आह्वान पर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद ने चंद्रयान-3 की शानदार सफलता, जी 20 सम्मेलन और विश्व कल्याण में

केंद्रीय गृह मंत्री ने सितंबर, 2023 में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के सभी सदस्य राज्यों से पानी के बंटवारे संबंधी आपसी विवादों को खुले मन और आपसी विमर्श से सुलझाने का अनुरोध किया। इस बात पर प्रसन्नता जताई कि देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सीएपीएफ और सेना में सबसे अधिक जवान उत्तरी क्षेत्रीय परिषद क्षेत्र से आते हैं।

भारत के नेतृत्व की पूरी दुनिया में प्रशंसा और संसद द्वारा ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किए जाने का करतल ध्वनि से स्वागत किया।

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की अमृतसर में हुई 31वीं बैठक के दौरान कुल 28 मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में अंतर-राज्यीय नदी जल के बंटवारे से संबंधित मुद्दे, बैंक शाखाओं/डाक बैंकिंग सुविधाओं द्वारा गांवों का कवरेज, सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का प्रभावी कार्यान्वयन, पंजाब विश्वविद्यालय से संबंधित मुद्दे, पीएमजीएसवाई के तहत सड़क कनेक्टिविटी, साइबर अपराधों की रोकथाम, जल जीवन मिशन, उड़ान योजना के तहत फिर से विमान सेवाएं शुरू करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध/बलात्कार के मामलों की त्वरित जांच, फास्ट ट्रैक स्पेशल योजना के कार्यान्वयन बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायालय, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को मजबूत करने और कृषि भूमि की खरीद का कानून आदि पर भी विचार-विमर्श हुआ।

वर्तमान केंद्र सरकार का पूर्व और पूर्वोत्तर पर जोर रहा है। सरकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर अधिक काम कर रही है। 17 दिसंबर, 2022 को जब केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह कोलकाता में 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, तो उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया था। साथ ही कहा था कि 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक अच्छे और सकारात्मक माहौल में हुई, कई मुद्दों पर सहमति बनी और बाकी बचे मुद्दों को भी विचार-विमर्श द्वारा सुलझा लिया जाएगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश के पूर्वी क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्त हो गया है और इस निर्णायक वर्चस्व को बरकरार रखने के प्रयास निरंतर रहने चाहिएं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि वामपंथी उग्रवाद-मुक्त राज्यों में ये दोबारा न पनपे और ये राज्य देश के अन्य हिस्सों के बराबर विकास करें। आग्रह किया कि मुख्यमंत्री नारकोटिक्स की रोकथाम के लिए एनसीओआरडी तंत्र की जिला-स्तरीय संरचना और उसकी नियमित बैठकें सुनिश्चित करें। देश में मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक दौर में है और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के जरिए ड्रग्स के विरूद्ध अभियान में और तेजी लाने की जरूरत है।

9 जुलाई, 2022 को जयपुर में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। श्री अमित शाह ने कहा था कि देश में 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का इस बात पर जोर रहा है कि क्षेत्रीय परिषद की बैठकें नियमित हों, परिणामलक्षी हों और लंबित मुद्दों का समाधान निकाल लिया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अंतर-राज्य परिषद और केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के साथ मिलकर इसे गति देने का काम कर रहा है। ■

खत्म होगा कृष्णा नदी विवाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में खुलेगा विकास का रास्ता

लंबे समय से चले आ रहे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच नदी जल बंटवारे के विवाद को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच न्यायिक फैसले के लिए आईएसआरडब्ल्यूडी कानून की धारा 5 (1) के अन्तर्गत मौजूदा कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-II (केडब्ल्यूडीटी-II) की आगे की संदर्भ शर्तों (टीओआर) को मंजूरी दे दी। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) कानून, 1956 की धारा (3) के तहत शिकायत में तेलंगाना सरकार (जीओटी) द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कानूनी राय लेने और उसी पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण है।

कृष्णा नदी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण पर दोनों राज्यों के बीच विवाद के समाधान से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में विकास के नए रास्ते खुलेंगे और इसका दोनों राज्यों के लोगों को लाभ मिलेगा, जिससे देश को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

केंद्र सरकार ने आईएसआरडब्ल्यूडी कानून, 1956 की धारा 3 के तहत पक्षकार राज्यों के अनुरोध पर 02.04.2004 को कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-II का गठन किया था। इसके बाद, 02.06.2014 में तेलंगाना भारत का एक राज्य बनकर अस्तित्व मे आया। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून (एपीआरए), 2014 की धारा 89 के अनुसार, एपीआरए, 2014 की उक्त धारा के खंड (ए) और (बी) के समाधान के लिए केडब्ल्यूडीटी-II का कार्यकाल बढ़ाया गया था।

इसके बाद, तेलंगाना सरकार (जीओटी) ने 14.07.2014 को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर), जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस), को एक शिकायत भेजी, जिसमें कृष्णा नदी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण पर विवाद का जिक्र किया गया था। इस मामले में तेलंगाना सरकार द्वारा 2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका भी दायर की गई थी। 2018 में, तेलंगाना सरकार ने डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर, एमओजेएस से शिकायत को मौजूदा केडब्ल्यूडीटी-II तक केवल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच सीमित करने का अनुरोध किया।

इस मामले पर 2020 में जलशक्ति मंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक में चर्चा की गई। तेलंगाना सरकार ने 2021 में उक्त रिट याचिका वापस ले ली और बाद में, मामले में डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर द्वारा कानून और न्याय मंत्रालय की कानूनी राय मांगी गई।

एक नहीं, अनेक हैं क्षेत्रीय परिषद की सफलताएं

ब्यूरो

अंतरराज्य परिषद सहयोग, समन्वय और सामान्य नीतियों के विकास के लिए एक साधन के रूप में काम करती है। जब साधन को सशक्त कर दिया जाता है, स्पष्ट सोच के साथ कामकाज में पारदर्शिता लाई जाती है, तो एक नहीं, कई कहानी सफलताओं की कथा सुनाती है।

देश तभी प्रगति कर सकता है जब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करें। देश की संघीय व्यवस्थाओं को बनाए रखने में कई चुनौतियां हैं। व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए समय-समय पर बहस और विचार-विमर्श करना आवश्यक है। जब सरकार का नेतृत्व सही हाथों में होता है, तो पुरानी समस्याओं का निदान भी सहज ही हो जाता है। साथ ही सफलता के नए आयाम रचे जाते हैं।

कोरोना महामारी से बेहतर इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता है, जब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर सहयोग से देश की करोड़ों जनता की जीवन रक्षा की गई। केंद्र सरकार की वैक्सीन और ऑक्सीजन के उत्पादन तथा वितरण को विनियमित करने के लिए एकमात्र एजेंसी होने के नाते यह अनन्य जिम्मेदारी थी कि वह वैक्सीन और ऑक्सीजन का पर्याप्त एवं विवेकपूर्ण वितरण सुनिश्चित करे। केंद्र सरकार की ओर से अपने इस कर्तव्य का निर्वहन किया गया। वैक्सीन के वितरण, दवाओं की आपूर्ति, ऑक्सीजन की उपलब्धता आदि के भेदभाव को लेकर जिन राज्यों ने शिकायत की, तुरंत उसका समाधान किया गया। कोरोना के दौर में जिन राज्यों में अधिक संकट दिखा, प्रधानमंत्री के निर्देश पर स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री ने मोर्चा संभाला। कोरोना के लिए बनाए गए कई विशेष हॉस्पिटल और आइसोलेशन केंद्रों का दौरा किया। पूरी सरकार चौबीसों घंटें अलर्ट मोड पर काम कर रही थीं।

28 अगस्त, 2023 को जब केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह गुजरात में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, तो उन्होंने इस ओर इशारा किया था। उनका कहना था कि भूमि संबंधी मुद्दों का हस्तांतरण, जल आपूर्ति से संबंधित मुद्दे, नीलाम की गई खदानों का संचालन, सामान्य सेवा केंद्र में नकद जमा सुविधा, बैंक शाखाओं/डाक द्वारा गांवों का कवरेज, बैंकिंग सुविधाएं, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध/बलात्कार के मामलों की त्वरित जांच,

जोनल काउंसिल, केंद्र और राज्यों के बीच संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के साथ मुद्दों को हल करने के लिए सहकारी संघवाद का एक महत्वपूर्ण मंच है, जो संविधान की भावना के अनुसार सर्वसम्मति से समाधान में विश्वास करता है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों (एफटीएससी) की योजना का कार्यान्वयन, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राज्यों द्वारा भारत नेट बुनियादी ढांचे के उपयोग आदि में आपसी सहयोग से लाभ मिला है।

उल्लेखनीय है कि देश के सर्वांगीण विकास को प्राप्त करने के लिए सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का लाभ उठाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का दृष्टिकोण बेहद सकारात्मक है। क्षेत्रीय परिषदें संवाद और चर्चा के लिए एक संरचित तंत्र के माध्यम से इस तरह के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मंच प्रदान करती हैं। एक या अधिक राज्यों या केंद्र और राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर निरंतर आधार पर, इस भावना से कि मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं।

क्षेत्रीय परिषद के प्रयासों से मध्य प्रदेश में किसानों को बेहद लाभ मिला। गेहूं और धान की पैदावर में वृद्धि हुई। आंकड़े कहते हैं कि बीते चार साल में धान की पैदावार में 50 प्रतिशत और गेहूं की पैदावार में 53 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य के 28 जिलों में किसानों को इससे बेहद लाभ मिला। किसानों को अपनी उपज का अधिक मूल्य मिला और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल पर उत्तर प्रदेश में महिला और बाल अपराध में आरोपियों की दोषसिद्धि में वृद्धि हुई। महिला संबंधी कुल अपराध में आरोपियों को सजा मिलने के निर्णयों में साल 2020 की तुलना में साल 2022 में 411 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी तरह पॉक्सो मामले में यह आंकड़ा 580 प्रतिशत रहा। सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का यह सकारात्मक परिणाम है। साथ ही जिला न्यायालयों में भी सकारात्मक वृद्धि देखी गई।

पश्चिम बंगाल में सौर उर्जा को लेकर कई काम हुए। स्कूलों को सौर ऊर्जा से युक्त किया गया। विद्यार्थियों के लिए बेहतर सुविधाएं बनाई गईं। राज्य के 13 जिलों में स्कूलों का कायाकल्प किया गया। झारखंड में भी आदर्श विद्यालय योजना को लेकर परिषद की पहल का परिणाम दिख रहा है। प्रखंड और पंचायत स्तर पर विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया। आदिवासी छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था की गई।

ओडिशा में युवा खिलाड़ियों को जरूरी सुविधाएं दी गईं। केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को मिले इसके लिए बेहतर प्रयास हुए। कलिंग स्पोर्टस कॉम्पलेक्स हर सुविधा से युक्त है। हर युवा यहां बेहतर सुविधाओं के साथ अपने खेल को निखार रहा है। साथ ही ओडिशा में स्कूलों और ग्रामीणों क्षेत्रों का भी कायाकल्प किया जा रहा है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में जम्मू-कश्मीर का उल्लेख करते रहते हैं। धारा 370 हटने के बाद यहां के माहौल में सकारात्मक बदलाव आया है। क्षेत्रीय परिषद से यहां भी प्रकाश की नई किरण पहुंची है। डिजिटल इंडिया और पारदर्शी सोच के साथ विकास की लौ दिख रही है। लोगों में संघवाद को लेकर नया विश्वास देखने को मिल रहा है। जिस जम्मू-कश्मीर में आए दिन इंटरनेट आदि बंद करना पड़ता था, वहां अब डिजिटल इंडिया की नई मुहिम दिख रहा है। युवाओं का डिजिटलीकरण पर सबसे अधिक जोर है। डिजिटल गवर्नेंस पूरे शबाब पर है। जिला स्तर तक 480 कार्यालय ऑनबोर्ड हो चुके हैं। कार्यों का निपटान दर 98 प्रतिशत है। करीब डेढ़ सौ साल पुरानी दरबार प्रथा को बंद कर दिया गया है। दक्षिण के राज्यों के लिए भी दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की ओर से बेहतर काम किया गया है। राज्यों के बीच पुरानी समस्याओं का समाधान हो गया है। डिजिटल इंडिया का जोर हर ओर दिख रहा है। ■

आर्थिक उन्नति के बने नए अवसर

क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में खुले मन से संवाद को बढ़ावा दिया जाने से इन मंचों पर लंबित मुद्दों के समाधान और उन पर प्रगति की दिशा में तेजी आई है। सौहार्द्रपूर्ण और रचनात्मक विचार-विमर्श, जटिल मुद्दों से जुड़े विवादों को बढ़ने से रोकने में और उन पर सहमति बनाते हुए उन्हें सुलझाने और क्रियान्वयन में प्रभावी रूप से मददगार रहा है।

ब्यूरो

सीमावर्ती और दूर-दराज के क्षेत्रों में बैंक शाखाओं तथा आई.पी.पी.बी. टच पॉइंट के विस्तार के माध्यम से वित्तीय समावेशन तथा आर्थिक सशक्तिकरण में क्षेत्रीय परिषदें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 जुलाई, 2016 को अंतर-राज्य परिषद की 11वीं बैठक में यह आह्वान किया कि प्रत्येक नागरिक के लिए 5 से 10 कि.मी. के दायरे में एक भुगतान बैंकिंग इकाई उपलब्ध हो। इसी क्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में, अगस्त 2019 में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की गोवा में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक गांव के 5 कि. मी. के दायरे में, बैंकों और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ब्रिक-एवं-मोर्टार शाखाओं द्वारा बैंकिंग सेवा उपलब्ध की जाये। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीति बनाई गई और वर्ष 2019 के बाद सभी क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों में इस मुद्दे पर क्रमबद्ध समीक्षा की गई। संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण को अपनाते हुए वित्तीय सेवाएं विभाग, डाक विभाग, दूरसंचार विभाग, सहकारिता मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक से चर्चा की गई और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अभिसरण किया गया। तीन हजार और उससे अधिक आबादी वाले गांवों में बैंक शाखाओं के खोले जाने और शेष बचे गांवों के 5 किलोमीटर के अंदर आई.पी.पी.बी. टच पॉइंट द्वारा सुविधा प्रदान करने की एक कुशल योजना बनाई गई। परिणामस्वरूप, इस वर्ष डाक विभाग द्वारा 5,746 नए डाकघर और उनमें आई.पी.पी.बी. टच पॉइंट खोलने के लिए 13,283 आवश्यक पद सृजित करने के लिए वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गई। वर्तमान में, 5.73 लाख आबाद गांवों के 5 कि.मी. के भीतर ब्रिक-एवं-मोर्टार शाखाओं द्वारा बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो गई है। शेष गांवों को इस वर्षांत तक कवर करने हेतु प्रयास जारी है। इसके परिणामस्वरूप पहाड़ी, सीमावर्ती और दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों का वित्तीय समावेशन हुआ है तथा इन क्षेत्रों के आर्थिक, सामाजिक विकास को गति मिली है।

पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की गोवा में आयोजित 24वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के माध्यम से अपेक्षित कार्रवाई करके इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित सामान्य सेवा केंद्रों में लाभार्थियों को नकद जमा करने की सुविधा मिलनी चाहिए। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की दीव में आयोजित 25वीं बैठक में इस की प्रगति पर केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा चर्चा की गयी।

सामान्य सेवा केंद्रों में नकद जमा करने की सुविधा नवंबर 2021 में शुरू की गई और यह अब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से 4.68 लाख सामान्य सेवा केंद्रों पर उपलब्ध है। वर्तमान में, सार्वजनिक क्षेत्र के 7 बैंकों सहित 25 बैंक यह सुविधा प्रदान

बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी लाना

क्षेत्रीय परिषदें अपनी चर्चाओं के माध्यम से सहमति बनाते हुए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में गति ला रही हैं। विभिन्न परियोजनाओं के लिए वन एवं वन्य जीव मंजूरी में, और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भी इन परिषदों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाजीपुर-सगौली नई रेल लाइन परियोजना, बिहार के 4 जिलों में भूमि अधिग्रहण ना होने के कारण अवरोधित थी। जबकि रेलवे ने जमीन की पूरी कीमत का भुगतान 2016 में ही कर दिया था। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 2020 तथा 2022 में हुई बैठकों में चर्चा के पश्चात, बिहार सरकार ने तीन जिलों में इस परियोजना के लिए आवश्यक अधिकांश भूमि रेलवे को सौंप दी है तथा पश्चिम-चम्पारण जिले में शेष बची 200 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु मुआवजे के अनुमान को अंतिम रूप दे दिया गया है। इससे भूमि अधिग्रहण को पूर्ण करने का रास्ता खुल पाया है। यह मुद्दा 2016 से लंबित था और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद और इसकी स्थायी समितियों में लगातार चर्चा के बाद इसे हल किया गया। इससे परियोजना को शीघ्र पूरा करने में मदद मिलेगी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 'सेतुभारतम' परियोजना के तहत कदमडीहा, डिगरी, पश्चिम मेदिनीपुर में रोड-ओवर-ब्रिज (आरओबी) के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण का मुद्दा पश्चिम बंगाल द्वारा उठाया गया जिसके लिए 27 एकड़ रक्षा भूमि की आवश्यकता थी। हालाँकि, भूमि का हस्तांतरण प्रतीक्षित था।

राजनंदगांव-कलुमना तीसरी लाइन परियोजना के लिए वन्यजीव मंजूरी दी गई। इस परियोजना के बोरतलाओ-गोंडिया सेक्शन हेतु वन्यजीव अनुमति के लंबित होने का मुद्दा रेलवे द्वारा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की स्थाई समिति की पणजी में 28 जनवरी 2022 को हुई बैठक में उठाया गया था। विषयान्तर्गत वन्यजीव प्रबंधन और शमनकारी कदमों पर रिपोर्ट के जारी किए जाने हेतु अनुसरण किया गया।

करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के प्लेटफॉर्म पर शामिल हैं। 25 नवंबर 2021 से 30 जून 2023 के दौरान 17 बैंकों से नकद जमा लेनदेन की कुल संख्या 4,62,870 है, जिसका मूल्य ₹215,62,48,900/- है।

मध्य क्षेत्रीय परिषद में राज्य सरकारों द्वारा कोदो और कुटकी (छोटे मिलेट) के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करने का मुद्दा उठाया गया था। संबंधित मंत्रालयों के साथ विस्तृत चर्चा कर यह निर्णय लिया गया कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के आधार पर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग कोदो, कुटकी और अन्य चिन्हित श्री अन्न की खरीद के लिए नीति दिशानिर्देश तैयार करेगा। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 9 अगस्त 2023 को कोदो, कुटकी समेत 6 श्री अन्न फसलों के आवंटन, वितरण और निपटान के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं।

क्षेत्रीय परिषद में विचार-विमर्श के बाद श्री अन्न के शासकीय खरीद की व्यवस्था बनायी गयी, जिसके द्वारा लघु-सीमांत किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत पाने में मदद मिलेगी। इस व्यवस्था द्वारा फसल विविधिकरण, पर्यावरण संरक्षण तथा आदिवासी अर्थव्यवस्था के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। उल्लेखनीय है कि अल्प समय में इस व्यापक महत्व के मुद्दे का समाधान वर्ष 2023 में किया गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

मध्य क्षेत्रीय परिषद में लाख की खेती के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए मार्च, 2021 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से अल्पावधि कृषि ऋण का मुद्दा उठाया गया। इस मुद्दे पर 22 अगस्त, 2022 को भोपाल में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में चर्चा हुई और अनुवर्ती कार्रवाई की गई। उसके बाद वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा लाख की खेती के लिए वित्त का पैमाना तय कर दिया गया है। लाख की खेती को 2022-23 से किसान क्रेडिट कार्ड में शामिल कर लिया गया है और इन किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) धारकों को लोन की सुविधा प्रदान की जा रही है। इससे छत्तीसगढ़, झारखंड और अन्य लाख उत्पादक किसानों की आय के बढ़ोतरी में लाभ मिलेगा।

तटीय राज्यों के मछुआरों को गहरे समुद्र में अपनी पहचान स्थापित करने में हो रही परेशानी के मुद्दे पर अगस्त, 2019 गोवा में आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में चर्चा कर तकनीकी समाधान निकाला गया। क्यू. आर. कोड युक्त पी.वी.सी आधार कार्ड समस्त समुद्री मछुआरों को जारी करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक वित्तीय अनुदान, मानक प्रक्रिया और कार्ड वितरण हेतु आवश्यक व्यवस्था बनायी गयी। परिणामस्वरूप, देश तटीय राज्यों के लगभग सभी समुद्री मछुआरों को क्यू.आर. कोड युक्त पी.वी.सी आधार कार्ड उपलब्ध कराये गए। इस प्रकार तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए समुद्री मछुआरों को गहरे समुद्र में हो रही पहचान संबंधित समस्याओं से राहत मिल सकी। भविष्य में समुद्री मछुआरों तथा प्रवासी मछुआरों को क्यू.आर. कोड युक्त पी.वी.सी आधार कार्ड उपलब्ध कराने की योजना को प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में समावेश कर लिया गया है।

दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की सितंबर 2018 में आयोजित बैठक में यूरोपीय संघ और जापान को निर्यात किए गए कई झींगा खेपों के एंटीबायोटिक अवशेषों की उपस्थिति के कारण खारिज किये जाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की नवंबर 2021 में तिरुपति बैठक में निर्णय के बाद, आपूर्ति शृंखला के रख-रखाव के लिए, सभी संबंधित तटीय राज्यों में टास्क फोर्स का गठन भी हुआ। इस प्रकार झींगा निर्यात में आ रही समस्याओं के निराकरण में गति आयी। इससे झींगा उत्पादकों और निर्यातकों को लाभ मिल रहा है ।

क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की बैठकों में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा और विश्लेषण के द्वारा कानून और नीतियों में गुणात्मक सुधार, विभिन्न प्रकार के विकास के कार्यों में गति और मानव संसाधन के विकास में प्रगति हो रही है जिसके परिणामस्वरूप हमारा देश आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनने के मार्ग पर प्रशस्त हो रहा है।■

क्षेत्रीय परिषद की बैठकों से निकलती नई राह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यों के आपसी संबंधों को सशक्त बनाने, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। राज्यों की समस्याओं के समाधान के लिए क्षेत्रीय परिषद के मंच का उपयोग करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया है।

ब्यूरो

पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ काम किया जाए, तो समस्याओं का समाधान भी होता है और जनता का कल्याण भी होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को अधिक बेहतर करने के उद्देश्य से समय-समय पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें होती रही हैं।

हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक नरेंद्र नगर (टिहरी) में हुई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह के आह्वान पर मध्य क्षेत्रीय परिषद ने एशियाई खेलों में भारत द्वारा पहली बार 100 से अधिक पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने के लिए सभी खिलाड़ियों का करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। बैठक में मध्य क्षेत्रीय परिषद ने चंद्रयान-3 की शानदार सफलता, जी-20 सम्मेलन के सफल आयोजन और संसद द्वारा ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किए जाने का भी स्वागत किया।

अपने संबोधन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने पर बल दिया है, इसके तहत क्षेत्रीय परिषदों ने समस्याओं

का समाधान निकालने की भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री के देश के किसानों को समृद्ध बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम के तहत अब देशभर के किसानों का 100 प्रतिशत दलहन, तिलहन और मक्का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (एनएएफईडी) द्वारा खरीदा जाएगा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की भोपाल में 22 अगस्त, 2022 को हुई 23वीं बैठक में लाख के उत्पादन को किसान क्रेडिट कार्ड तथा फसल बीमा योजना में शामिल करने पर चर्चा हुई थी। इसके पश्चात लाख उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ और झारखंड में स्केल ऑफ फाइनेंस निर्धारित कर दिया गया है।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि लाख उत्पादन को संशोधित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में शामिल करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा समर्थित अध्ययन कराया जाएगा। इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं और इस निर्णय से लाख उत्पादन से जुड़े किसानों को फायदा होगा। भोपाल में हुई पिछली बैठक में कोदो और कुटकी श्रीअन्न उपज के लिए बेंचमार्क मूल्य निर्धारण करने संबंधी निर्णय लिया गया था। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार ने 9 अगस्त, 2023 को इस बारे में आदेश जारी कर दिया। बैठक में कोदो और कुटकी उपज के मूल्य को रागी के न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर तय करने का भी निर्णय लिया गया। इस फैसले से देशभर, विशेषकर मध्य क्षेत्रीय परिषद के सदस्य राज्यों के करोड़ों किसानों को फायदा होगा।

श्री अमित शाह ने सहकारिता, स्कूली बच्चों की ड्रॉप आउट दर और कुपोषण जैसे मुद्दों को प्राथमिकता बताते हुए सभी सदस्य राज्यों से इन पर खास ध्यान देने को कहा। उन्होंने बच्चों में कुपोषण दूर करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इस समस्या को पूरी संवेदनशीलता के साथ दूर करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है।

पूर्व में दक्षिण परिषद की 29वीं बैठक, तिरूपति में हुई जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, पुडुचेरी व अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल तथा लक्षद्वीप के प्रशासक शामिल हुए। साथ ही परिषद में शामिल राज्यों के मंत्री, केन्द्रीय गृह सचिव, अन्तर-राज्य परिषद की सचिव और संबंधित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

श्री अमित शाह ने इस बैठक में कहा था कि दक्षिणी भारत के राज्यों की प्राचीन संस्कृति, परंपराएं और भाषाएं भारत की संस्कृति और प्राचीन विरासत को समृद्ध करती हैं, दक्षिण भारत के राज्यों के अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान के बिना भारत के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भारतीय संस्कृति अनेक विविधताओं से परिपूर्ण हैं और विशेषरूप से दक्षिण भारत की संस्कृति, भाषाएं और परम्पराएं न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया को आकर्षित करती हैं। सरकार भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करती है और इसलिए उस दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उन सभी सदस्य राज्यों की सभी भाषाओं में अनुवाद की सुविधा थी जो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री ने इच्छा व्यक्त की थी कि भविष्य में प्रतिनिधियों को अपने राज्य की भाषा में बोलते देखकर उन्हें खुशी होगी। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि दक्षिण के राज्यों का पर्यटन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र सहित पूरे उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान है। पिछले कुछ वर्षों में परिषद अनेक क्षेत्रों में आपसी समझ और सहयोग के स्वस्थ विचार-विमर्श को बढ़ावा देने में परिणामलक्षी साबित हुई है। चचाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से राज्यों के बीच एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने में भी हमें सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1956 में हुई यह शुरूआत परिपक्व तरीके से आगे बढ़ी है।■

पहले से अधिक हो रही है बैठकें

अब 5 क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें नियमित रूप से बुलाई जाती हैं और यह केवल गृह मंत्रालय के तहत क्षेत्रीय परिषद सचिवालय की सक्रिय पहल और सभी राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ-साथ केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से ही संभव हो सका है। श्री अमित शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदों और इसकी स्थायी समितियों की बैठकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि जून, 2014 से, पिछले 10 वर्षों में, क्षेत्रीय परिषद और इसकी स्थायी समिति की कुल 54 बैठकें आयोजित की गई हैं, जो वर्ष 2004 से मई, 2014 तक के 10 वर्षों के दौरान आयोजित बैठकों की तुलना में दोगुनी से भी अधिक हैं।

अगले 20 वर्ष पिछले 20 वर्षों से अधिक महत्वपूर्ण

ब्यूरो

वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरूआत 20 वर्ष पहले श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में हुई थी, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 28 सितंबर, 2003 को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का सफर शुरू हुआ था। कालांतर में, यह वास्तव में एक वैश्विक कार्यक्रम में बदल गया, जिसने भारत में प्रमुख व्यावसायिक शिखर सम्मेलनों में से एक होने का दर्जा प्राप्त किया। वर्ष 2003 में लगभग 300 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया था। इसके बाद वर्ष 2019 में 135 से अधिक देशों के हजारों प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी गई। पिछले 20 वर्षों में, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 'गुजरात को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने' से 'नए भारत को आकार देने' तक विकसित हुआ है। वाइब्रेंट गुजरात की अद्वितीय सफलता पूरे देश के लिए एक आदर्श बन गई और इसने अन्य भारतीय राज्यों को भी ऐसे निवेश शिखर सम्मेलनों का आयोजन करने के लिए प्रेरित किया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अहमदाबाद के साइंस सिटी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 वर्ष पहले बोए गए बीजों ने एक शानदार और विविध जीवंत गुजरात का रूप ले लिया है। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ समारोह का हिस्सा बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की। यह दोहराते हुए कि वाइब्रेंट गुजरात केवल राज्य के लिए एक ब्रांडिंग अभ्यास नहीं है, बल्कि संबंधों को मजबूत करने का एक अवसर भी है, प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि शिखर सम्मेलन उनके साथ जुड़े एक ठोस बंधन और राज्य के सात करोड़ लोगों की क्षमताओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा, 'यह बंधन मेरे प्रति लोगों के अपार स्नेह पर आधारित है।'

जब पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी, तब उस समय के वाइब्रेंट गुजरात के 2009 संस्करण को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया था। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि परिणामस्वरूप 2009 के वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के दौरान गुजरात की सफलता का एक नया अध्याय लिखा गया था।

इस सिलसिले में इसकी सफलता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2003 संस्करण में केवल कुछ सौ प्रतिभागियों ने भाग लिया था। उन्होंने बताया कि आज शिखर सम्मेलन में 135 देशों के 40 हजार से अधिक प्रतिभागी और प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रदर्शकों की संख्या भी 2003 में 30 से बढ़कर आज 2000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात की सफलता के मूल तत्व हैं–विचार, परिकल्पना और कार्यान्वयन। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात के पीछे के विचार और परिकल्पना की ताकत को रेखांकित किया और कहा कि इसका अनुसरण अन्य राज्यों में भी किया गया। ■

> **अगले 20 वर्ष पिछले 20 वर्षों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। जब वाइब्रेंट गुजरात के 40 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो भारत अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ से ज्यादा दूर नहीं रहेगा। यही वह समय है जब भारत को एक रोडमैप बनाना होगा, जो उसे 2047 तक एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाए।**
>
> **श्री नरेन्द्र मोदी,** प्रधानमंत्री

विकसित भारत की एक नई पहचान

ब्यूरो

भारत ने बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में कई मील के पत्थर देखे हैं। प्रत्येक नई परियोजना आधुनिकीकरण और विकास के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस अटूट समर्पण का एक हालिया प्रमाण 17 सितंबर को द्वारका, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर - यशोभूमि के चरण 1 का उद्घाटन है। उन्होंने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए 'पीएम विश्वकर्मा योजना' भी शुरू की। प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा लोगो, टैगलाइन और पोर्टल भी लॉन्च किया। इस अवसर पर एक कस्टमाइज्ड स्टाम्प शीट, एक टूल किट, ई-बुकलेट और वीडियो भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने 18 लाभार्थियों को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र वितरित किए। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो केन्द्र-'यशोभूमि' के बारे में प्रधानमंत्री ने इस उत्कृष्ट सुविधा केन्द्र निर्माण में श्रमिकों और विश्वकर्माओं के योगदान को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि आज मैं देश के हर श्रमिक को, हर विश्वकर्मा साथी को यशोभूमि समर्पित करता हूं। कारीगरों और शिल्पकारों के 18 फोकस क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना में बढ़ई, लोहार, सुनार, मूर्तिकार, कुम्हार, मोची, दर्जी, राजमिस्त्री, हेयरड्रेसर एवं धोबी आदि को शामिल किया गया है और इस पर 13,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया ने जी-20 शिल्प बाजार में प्रौद्योगिकी और परंपरा के संगम का परिणाम देखा है। पहले हमें वोकल फॉर लोकल बनना होगा और फिर हमें लोकल ग्लोबल को अपनाना होगा। प्रधानमंत्री ने 'एक जिला, एक उत्पाद' योजना पर प्रकाश डालते हुए कहा, 'केंद्र सरकार वंचितों के विकास को प्राथमिकता देती है', यह योजना हर जिले से अद्वितीय उत्पादों को प्रोत्साहित करती है। ■

प्रेरक बने 112 आकांक्षी जिले

देश का दिल दिल्ली और उसी नई दिल्ली के मध्य में प्रतिष्ठित भारत मंडपम में 30 सितंबर को एक उल्लेखनीय सभा हुई। यह भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक बनी। यह आकांक्षी जिलों (एबीपी) का उत्सव था, जो ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने की अटूट प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने 'संकल्प सप्ताह' नामक एक अनूठी और परिवर्तनकारी सप्ताह भर चलने वाली पहल की शुरूआत की। सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने आयोजन स्थल-भारत मंडपम से उन लोगों का उल्लेख किया जो दूर-दराज के क्षेत्रों में विकास का ध्यान रख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वालों का स्वागत किया और जोर देकर कहा कि मेरे लिए यह सभा जी20 से कम नहीं है। यह कार्यक्रम टीम भारत और सबका प्रयास की भावना की सफलता का प्रतीक है। यह कार्यक्रम भारत के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है तथा 'संकल्प से सिद्धि' इसमें निहित है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्र भारत के किसी भी शीर्ष 10 कार्यक्रमों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने 112 जिलों में लोगों के जीवन में बदलाव किया है। इस कार्यक्रम की सफलता ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की नींव रखी है और इस कार्यक्रम को विश्व भर से सराहना मिली है। उन्होंने देश के आकांक्षी जिलों में हुए विकास के लिए युवा अधिकारियों को श्रेय दिया। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए, प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार को ब्लॉक स्तर पर सफल होने वाले युवा अधिकारियों को बढ़ावा देकर प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया। ■

जटिलता में कमी और सुविधा में वृद्धि

ब्यूरो

26 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक राष्ट्रीय रोजगार मेले के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवाओं को 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। देश भर में 46 स्थानों पर यह रोजगार मेला आयोजित किया गया था। केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रोजगार मेला अभियान के तहत सफल परीक्षार्थियों को (समूह बी और सी श्रेणियों के) लगभग 1,000 नियुक्ति पत्र दिए गए। सरकार लगातार रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है। यह न केवल नवनियुक्त उम्मीदवारों की व्यक्तिगत उपलब्धियों का जश्न है, बल्कि युवाओं के लिए आशा और अवसर का प्रतीक भी है, जिससे उन्हें सशक्त बनाया जा सके और राष्ट्रीय विकास में सक्रिय रूप से शामिल किया जा सके।

खास बात यह भी है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी भी अच्छी रही। नए भर्ती होने वालों में महिलाओं की पर्याप्त उपस्थिति के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की बेटियां हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नारीशक्ति की सफलता पर बहुत गौरव होता है और यह सरकार की नीति है कि उनकी तरक्की के लिए नित नए रास्ते खोले जाएं। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति से हमेशा उस क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आया है।

इस बार के रोजगार मेले की बात की जाए तो ये केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों में भर्ती हुई हैं। इनमें वित्तीय सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण, परमाणु ऊर्जा विभाग, रेल मंत्रालय, लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग और गृह मंत्रालय समेत अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला भी प्रधानमंत्री के 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की पहल का हिस्सा था। निरंतर चल रहा यह प्रयास रोजगार को बढ़ावा देने और देश के कार्यबल की वृद्धि और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

> **सरकार की नीतियां एक नई मानसिकता, निरंतर निगरानी, मिशन मोड में कार्यान्वयन और जन भागीदारी पर आधारित हैं, जिन्होंने महत्वपूर्ण लक्ष्यों की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त किया है।**
>
> **श्री नरेन्द्र मोदी,** प्रधानमंत्री

शासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन रेलवे आरक्षण, आधार कार्ड, डिजिलॉकर, ई-केवाईसी, गैस बुकिंग, बिल भुगतान, डीबीटी और डिजीयात्रा द्वारा दस्तावेजीकरण की जटिलता समाप्त होने का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने नए भर्ती होने वालों से इस दिशा में काम करने का आग्रह करते हुए कहा, 'प्रौद्योगिकी ने भ्रष्टाचार रोका है, विश्वसनीयता में सुधार किया है, जटिलता में कमी लाई है और सुविधा में वृद्धि की है।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों से सरकार की नीतियां नई मानसिकता, निरंतर निगरानी, मिशन मोड कार्यान्वयन और जन भागीदारी पर आधारित हैं, जिन्होंने महत्वपूर्ण लक्ष्यों की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। स्वच्छ भारत और जल जीवन मिशन जैसे अभियानों का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने सरकार के मिशन मोड कार्यान्वयन के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला जहां परिपूर्णता प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। देश भर में परियोजनाओं की लगातार निगरानी की जा रही है और इसके लिए उन्होंने स्वयं अपने द्वारा उपयोग में लाए जा रहे प्रगति प्लेटफॉर्म का उदाहरण दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने की सर्वोच्च जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारियों की होती है। जब लाखों युवा सरकारी सेवाओं से जुड़ते हैं, तो नीतियों के कार्यान्वयन की गति को बढ़ावा मिलता है, जिससे सरकारी क्षेत्र के बाहर भी रोजगार के अवसर सृजित होते हैं और कामकाज की नई व्यवस्था बनती है। ■

लंबित मामलों को कम करने के लिए गृह मंत्रालय ने चलाया विशेष अभियान

ब्यूरो

सरकारी कामकाज को सुव्यवस्थित करने और दक्षता बढ़ाने के एक ठोस प्रयास में, गृह मंत्रालय ने अपने विभागों के भीतर स्वच्छता लाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू की। नवंबर, 2022 से अगस्त, 2023 तक चली इस अनूठी पहल का उद्देश्य लंबित मामलों को संबोधित करना और अधिक संवेदनशील और संगठित प्रशासनिक ढांचा तैयार करना था।

इस अवधि के दौरान 632 सांसद संदर्भ, 37 संसदीय आश्वासन, 6 कैबिनेट प्रस्ताव, 213 राज्य सरकार के संदर्भ और 47 पीएमओ संदर्भों का निपटान किया गया। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा नवंबर, 2022 से अगस्त, 2023 के दौरान प्राप्त कुल 38,550 लोक शिकायतों और 4,159 पीजी अपीलों का निपटारा किया गया है। सीएपीएफ के कार्यालयों में कुल 25,504 वर्ग फुट जगह खाली कराई गई है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के भीतर सभी प्रभागों के साथ कुशलतापूर्वक समन्वय करने के लिए, एक अंतर-मंत्रालय पोर्टल विकसित किया गया है। मंत्रालय की यह सर्वोत्तम प्रथा रही है कि सभी प्रभाग विशेष अभियान से संबंधित डेटा अपलोड करें। इससे किसी भी देरी को कम करते हुए समय पर सटीक डेटा प्राप्त करने में सुविधा हुई है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह के नेतृत्व में इस अभियान को प्रमुखता से चलाया गया। गृह मंत्रालय विशेष अभियान के पिछले आयोजनों की सफलता से प्रोत्साहित होकर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान 3.0 के तैयारी चरण (15-30 सितंबर, 2023) और कार्यान्वयन चरण (02-31 अक्टूबर, 2023) के दौरान एक सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय में आयोजित विशेष अभियान दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल कार्यस्थलों पर केंद्रित है।

02 अक्टूबर, 2023 से 31 अक्टूबर, 2023 तक चलाए जाने वाले विशेष अभियान 3.0 की निगरानी उच्चतम स्तर पर की जा रही है। सभी सीएपीएफ और सीपीओ को विशेष अभियान 3.0 के महत्व पर बल दिया गया है और पहचाने गए मापदंडों के अनुसार सर्वोत्तम परिणामों के लिए समन्वित तरीके से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

यह पहल न केवल बैकलॉग को कम करने और कार्यस्थलों की सफाई के बारे में है, बल्कि समग्र सांस्कृतिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के बारे में भी है। यह पर्यावरणीय जिम्मेदारी और दक्षता के महत्व पर जोर देते हुए कार्यस्थल में टिकाऊ प्रथाओं को स्थापित करने का प्रयास करता है। सरकार के विशेष अभियानों ने लगातार स्वच्छता में सुधार और लंबित संदर्भों के समाधान में तेजी लाने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। विशेष अभियान 3.0 सेवा वितरण और सार्वजनिक इंटरफेस के लिए जिम्मेदार क्षेत्र और बाहरी कार्यालयों पर विशेष ध्यान देने के साथ, अपने संचालन को आधुनिक बनाने, उन्हें अधिक सुलभ और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ■

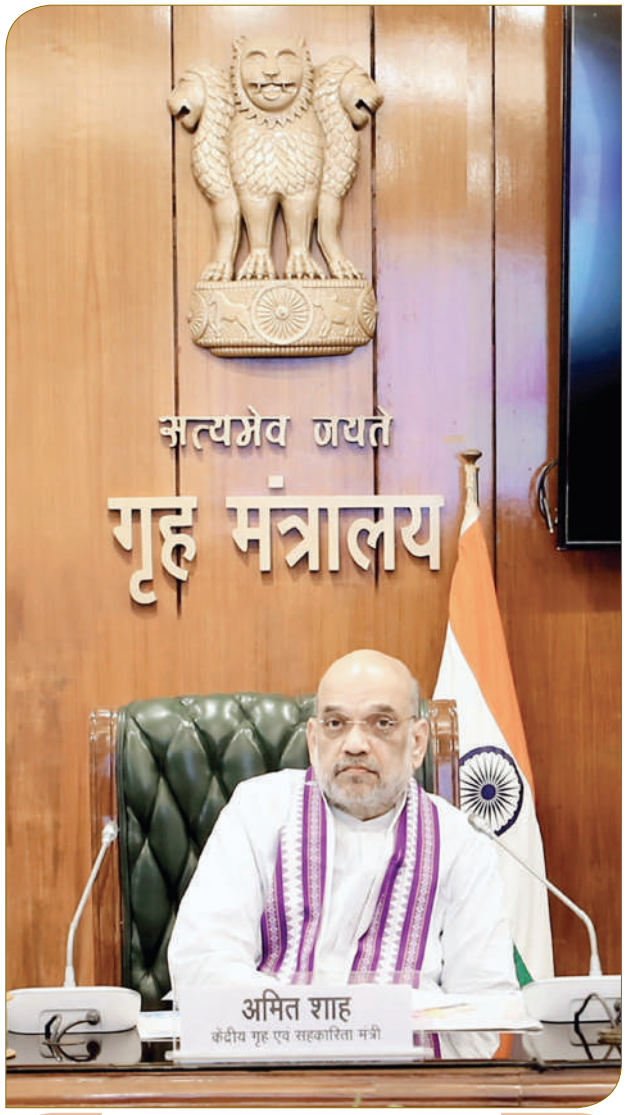

गृह मंत्रालय ने नवंबर, 2022 से अगस्त, 2023 तक मासिक आधार पर लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया। मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्थानों पर कुल 3,438 स्वच्छता अभियान चलाए गए, जिनमें सार्वजनिक संपर्क वाले क्षेत्र/बाहरी कार्यालयों पर विशेष फोकस किया गया है।

अब नीतियों के निर्धारण में भी योगदान देंगी महिलाएं

19 सितंबर, 2023 का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। इसी दिन गणेश चतुर्थी के अवसर पर नई संसद में पहली बार कामकाज हुआ और वर्षों से लंबित महिलाओं को आरक्षण का अधिकार देने वाला बिल सदन में पेश हुआ। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के दिन से ही महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सहभागिता श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की श्वास और प्राण बने हुए हैं।

ब्यूरो

जब सरकार की सोच स्पष्ट हो और सबका विकास हो, तो कोई भी विषय मुश्किल नहीं होता है। पुराने दौर में भले ही मामला अटकाया गया हो, लेकिन जब नए भारत का आगाज होता है तो नए संसद से वैसा ही क्रांतिकारी स्वर सुनाई पड़ता है, जैसा कि 19 और 20 सितंबर को नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के दौरान सुना गया। श्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने देश की महिलाओं को नया संवैधानिक अधिकार दिया। सदन ही नहीं, सदन से बाहर भी देश की सभी महिलाओं ने केंद्र सरकार के प्रति आभार प्रकट किया।

ऐसा नहीं है कि महिलाओं को संवैधानिक रूप से आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई, कि वे कमजोर हैं। स्वयं सदन में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने कहा कि महिलाएं, पुरुषों से भी अधिक सशक्त हैं और इस विधेयक से अब निर्णय और नीति-निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाएगी। सरकार ये बिल समाज व्यवस्था की त्रुटि को सुधारने, महिलाओं की प्रतिभागिता बढ़ाने और उनका सम्मान करने के लिए लेकर आई है। आज ये एक ऐसा मौका है जब इस सदन से पूरे विश्व को एक संदेश देने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री जी की महिला केंद्रित विकास की कल्पना को पूरा करने के लिए पूरा सदन एकमत है।

श्री अमित शाह ने कहा कि कुछ दलों के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के लिए महिला सशक्तिकरण मान्यता का मुद्दा है। 2014 में देश की महान जनता ने 30 साल बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं, वह महिलाओं को कमजोर कहने की गलती नहीं करेंगे।

आज देश में महिला सशक्तिकरण हुआ है और सारी योजनाओं का पैसा सीधे महिलाओं के बैंक खातों में जा रहा है। विपक्षी दलों ने इस देश में 5 दशकों से अधिक शासन किया। देश में 11 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास शौचालय नहीं था। गरीबी हटाओ के नारे दिए गए, लेकिन गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। जब घर में शौचालय नहीं होता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ युवा पुत्री, बहन और मां को होती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पहले 5 साल के अंदर ही 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बनवा दिए, जिनसे माताओं, बहनों और बेटियों का सम्मान और सशक्तिकरण हुआ। देश के 10 करोड़ परिवार धुएं में जीने को मजबूर थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने 10 करोड़ घरों में एलपीजी का मुफ्त कनेक्शन देकर महिलाओं का सशक्तिकरण करने का काम किया है।

श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को उनके नाम से घर देने का काम किया। श्री शाह ने कहा कि देश के 12 करोड़ घर ऐसे थे जहां पीने का पानी नहीं था, 12 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने का काम किया। देश के 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री देने का काम इस सरकार द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री ने 3 करोड़ 18 लाख सुकन्या समृद्धि खाते खोले, 3 करोड़ महिलाओं को 'मातृ वंदन योजना' के तहत फायदा पहुंचाया और लगभग 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने का काम किया। श्री शाह ने कहा कि दुनियाभर में आज महिला पायलट्स की संख्या 5 प्रतिशत है, जबकि भारत में यह 15 प्रतिशत है, इसे सशक्तिकरण कहते हैं। ■

भारत की सांस्कृतिक व वाणिज्यिक राजदूत होगी लैंड पोर्ट अथॉरिटी

ब्यूरो

भारत नेपाल सीमा को पहले से अधिक चुस्त-दुरूस्त करने के लिए भारत सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों देशों के आपसी सामाजिक-सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक मजबूती मिले और सुरक्षा भी चाक-चौंबंद हो, इसी मंशा के साथ बिहार के अररिया में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह का जाना हुआ। उन्होंने वहां जोगबनी में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट स्थित बॉर्डर गार्ड फोर्सेज (बीजीएफ) यानी आवासीय कॉलोनी का उद्घाटन किया। साथ ही कहा कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी भारत के सांस्कृतिक और वाणिज्यिक राजदूत का भी काम करेगी। सीमा की सारी दिक्कतों से परिचित हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार बगैर तुष्टिकरण के कठोर भाव से जल्द ही इन समस्याओं का समाधान करेगी।

केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार, भारत-नेपाल सीमा पर जोगबनी में आईसीपी से नेपाल के साथ लगभग 10,500 करोड़ रुपये का आदान-प्रदान होता है। यह नेपाल के साथ कुल सीमा व्यापार और वाणिज्य के व्यापार का 14 प्रतिशत है। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि भारत नेपाल सीमा पर लैंड पोर्ट अथॉरिटी ने 19 लैंड कस्टम स्टेशन की पहचान की है और इनमें से 11 बिहार में होंगे। भारत-नेपाल सीमा पर स्थित चेक पोस्टों पर पड़ोसियों के साथ समन्वय और सहयोग बढ़ा है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत 15 हजार किलोमीटर से अधिक लंबी भूमि सीमा पड़ोसी देशों के साथ साझा करता है। इस भूमि सीमा का उपयोग न केवल व्यापार बढ़ाने, बल्कि पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भी किया जा सकता है। श्री शाह ने कहा कि इसी दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अधिक सक्षम बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। आने वाले 5-6 वर्षों में इस अथॉरिटी के सभी संस्थान भारत के पड़ोसी देशों की सीमा पर हमारे सांस्कृतिक और वाणिज्यिक राजदूत की तरह भी काम करेंगे। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारे पड़ोसी देशों के लिए भारत का पहला संवाद केन्द्र है। आधुनिक सुविधाओं और तकनीक का इस्तेमाल करने और आवागमन व व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए सक्षम व्यवस्था खड़ी करना ही लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का उद्देश्य है। इसके साथ ही श्री अमित शाह ने बथनाहा में सशस्त्र सीमा बल के 35 करोड़ की लागत से नवनिर्मित कार्यालय भवनों का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। श्री अमित शाह ने कहा कि सशस्त्र सीमा बल हमारे दो मित्र देशों, नेपाल और भूटान की सीमा पर सुरक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक मेलजोल बढ़ाने का काम भी करता है। ■

> **भारत के सीमा सुरक्षा बलों के समर्पित जवानों ने न केवल सीमाओं की सुरक्षा की है, बल्कि सीमांत क्षेत्रों में स्थित गावों की सांस्कृतिक पहचान और भारत के साथ जुड़ाव को और अधिक सुदृढ़ करने का काम भी किया है।**
>
> **श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

एनआईपीईआरः शिक्षा, ज्ञान, अनुसंधान और व्यापार को जोड़ने वाला सेतु है

ब्यूरो

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक सोच के साथ काम हुआ है और देश के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की गई है। चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, पीएचसी, सीएचसी से लेकर वेलनेस सेंटर को मजबूत बनाना हो, योग से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना हो, या मेडिकल क्षेत्र में सीटों को 2.5 गुना बढ़ाना हो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गत 9 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने का काम किया है।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी की कल्पना के अनुसार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईपीईआर) ज्ञान, शिक्षा, अनुसंधान और व्यापार को जोड़ने वाले सेतु बनकर भारत को फार्मास्युटिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखने का काम कर रहे हैं। 30 सितंबर, 2023 को एनआईपीईआर के स्थायी परिसर का केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस संस्थान का लक्ष्य औषधि शिक्षा ही नहीं, बल्कि अनुसंधान के क्षेत्र में भी दुनिया का शीर्ष संस्थान बनना होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि एनआईपीईआर उत्कृष्टता के एक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका है और आने वाले दिनों में ये और आगे बढ़ेगा। इसकी स्थापना शिक्षा, अनुसंधान, गुणवत्ता और उत्कृष्टता का केंद्र बनाकर इसे उत्पादन और जनसेवा के साथ जोड़ने के उद्देश्य की गई है।

लगभग 60 एकड़ भूमि पर 8 भवनों में फैला एनआईपीईआर, गांधीनगर न केवल भारत, बल्कि दुनियाभर में औषधि के क्षेत्र में मानव जीवन को स्वस्थ और संपूर्ण बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान देगा। पिछले 3 वर्षों से एनआईपीईआर, गांधीनगर देश के शीर्ष 10 फार्मेसी संस्थानों में शुमार है और नया भवन बनने से प्रथम स्थान पर आने से अब इसे कोई नहीं रोक सकता।

> **नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च देशभर में तकनीकी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम बन चुका है, लगभग 8,000 छात्र यहां से निकलकर प्रोफेशनल क्षेत्र में सफल हो चुके हैं, इसके नाम 380 से अधिक पेटेंट पंजीकृत हो चुके हैं और 7,000 से अधिक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए हैं।**
>
> **श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

भारत में 7 एनआईपीईआर हैं, जिनमें से मोहाली और गुवाहाटी पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं और अब एनआईपीईआर, गांधीनगर भी पूर्ण रूप से कार्यरत होने जा रहा है। हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली में एनआईपीईआर के निर्माण का काम प्रगति पर है। श्री शाह ने कहा कि लगभग 8,000 छात्र यहां से निकलकर प्रोफेशनल क्षेत्र में सफल हो चुके हैं। एनआईपीईआर के छात्रों के नाम 380 से अधिक पेटेंट पंजीकृत हो चुके हैं और 7,000 से अधिक रिसर्च पेपर भी प्रकाशित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला के निर्माण के लिए 2,200 करोड़ रूपए जारी किए हैं जो इस संस्थान के छात्रों को आने वाले दिनों में रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगा। एनआईपीईआर ने औषधि उद्योग के बीच भी अपनी अच्छी जगह बना ली है और औषधि उद्योग और एनआईपीईआर के बीच 270 से अधिक समझौता हो चुके हैं। ■

संवेदना के साथ आगे बढ़ रहा है देश

सशक्त सरकार और दूरदर्शी सोच के साथ केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। देश के तीनों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री समयानुकूल मिली जिम्मेदारी का बेहतर निर्वहन कर रहे हैं। इससे जनता में सरकार के प्रति लगातार विश्वास का भाव बढ़ता जा रहा है। सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है।

ब्यूरो

29 सितंबर को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री, श्री नित्यानंद राय यूनाइटेड नेशन्स कान्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर इटली के पलेरमो में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में शामिल हुए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान पर जोर देते हुए कहा कि जब खतरे वैश्विक हों तो प्रक्रिया सिर्फ स्थानीय स्तर की नहीं हो सकती। इन खतरों को परास्त करने के लिए दुनिया को एकजुट होना पड़ेगा। भारत सभी प्रकार के संगठित अपराधों से लड़ने और उन्हें जड़ से उखाड़ने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। संगठित अपराध एक प्रमुख वैश्विक खतरे का प्रतीक है, इससे सभी साथ मिलकर निपटेंगे।

28 सितंबर को सतारा शहर के ऐतिहासिक 'चार भिंती' स्मृति स्थल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री अजय मिश्रा ने प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी की संकल्पना से पूरे देश में शुरू की गई 'मेरी माटी-मेरा देश' पहल के अंतर्गत, अमृत कलश में स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारियों की स्मृति में बने इस पवित्र स्थल की मिट्टी को एकत्र कर अभिवादन किया। इससे एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत सतारा में लोगों और मीडिया से बात की, जनता की समस्याओं के लिए उचित समाधान की बात की।

26 सितंबर को जब प्रधानमंत्री रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री निशीथ प्रमाणिक ने भी इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। उनका कहना था कि युवा सशक्तिकरण के वादे और भारत को सभी के लिए अवसरों के साथ एक आर्थिक महाशक्ति बनाने के संकल्प को पूरा करते हुए, प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न सरकारी नौकरियों में भर्ती हुए 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। इससे युवाओं में बेहद उत्साह है। उनमें पढ़ने और आगे बढ़ने की ललक है।

25 सितंबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री निशीथ प्रमाणिक पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। वहां उन्होंने आजादी के अमर क्रांतिकारियों को नमन किया। अपने संदेश में कहा कि सेल्युलर जेल, पोर्ट ब्लेयर में स्वतंत्रता ज्योति पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की अदम्य भावना को श्रद्धांजलि। भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनका अटूट समर्पण साहस का एक चिरस्थायी प्रतीक है। ■

सहकारी संघवाद के आदर्श स्थापित करती मोदी सरकार

पुष्कर सिंह धामी

क्षेत्रीय परिषदें, जिनकी संख्या पांच है, का सृजन राज्य पुनर्गठन अधिनियम,1956 के तहत राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने, अंतरराज्य समस्याओं को हल करने और संबंधित क्षेत्रों के संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न क्षेत्रों के राज्यों के लिए बैठक का एक मंच प्रदान करने के मूल उद्देश्य के साथ 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के मद्देनजर किया गया था।

माननीय केंद्रीय गृह मंत्री मध्य क्षेत्रीय परिषद सहित प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं। मुझे वर्ष के दौरान मध्य क्षेत्रीय परिषद की 7 अक्टूबर 2023 को नरेंद्र नगर, उत्तराखंड में आयोजित 24वीं बैठक के रोटेशनल वाइस-चेयरमैन का पद संभालने का सौभाग्य मिला।

प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद एक सलाहकार निकाय है जो किसी भी मामले पर चर्चा कर सकती है जिसमें उस परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ या सभी राज्यों, या संघ और उस परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले एक या अधिक राज्यों का साझा हित हो और वह केंद्र सरकार और प्रत्येक संबधित राज्य सरकार को ऐसे किसी भी मामले पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सलाह दे सकती है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद ने अपनी सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के साथ-साथ इसके (क्षेत्रीय परिषद) के समक्ष रखे जाने वाले एजेंडा मदों की स्क्रीनिंग और जांच के लिए संबंधित क्षेत्रों के राज्यों के मुख्य सचिवों की एक स्थायी समिति भी गठित की है। संबंधित क्षेत्रीय परिषदों के सचिव के रूप में कार्य करने वाले मुख्य सचिव संबंधित स्थायी समिति की बैठकों की अध्यक्षता भी करते हैं। क्षेत्रीय परिषदों की स्थायी समितियों की बैठकें नियमित रूप से बुलाई जाती हैं और इनमें क्षेत्रीय परिषदों के विचार के लिए निर्धारित एजेंडा मदों का परीक्षण और इनका यथासंभव आधिकारिक समाधान प्रदान किया जाता है।

क्षेत्रीय परिषदों की संस्थागत व्यवस्था वर्ष 2014 के बाद से काफी मजबूत हुई है। वर्ष 2014 के बाद क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की बैठकों की संख्या और उनकी नियमितता में काफी वृद्धि हुई है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में चर्चाएं भी अत्यधिक प्रभावी, परिणामोन्मुख और फलदायी हुई हैं। क्षेत्रीय परिषदों के मंच के माध्यम से, अब केंद्र और राज्यों के बीच सामाजिक-आर्थिक कल्याण, महिला सुरक्षा,बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन आदि से संबंधित विविध और महत्वपूर्ण मुद्दों पर निरंतर संवाद बना रहता है। इसके साथ ये साथ परिषदें, न केवल विचार के लिए रखे जाने वाले अधिकांश मुद्दों को हल करने में सक्षम हुई हैं, बल्कि इनमें चर्चा किए गए और समाधान हुए मुद्दों की संख्या में, और समाधान की दर में भी वृद्धि हुई है।

हाल ही में, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक 7 अक्टूबर, 2023 को नरेंद्र नगर, उत्तराखंड में आयोजित की गई थी, जिसकी मेजबानी उत्तराखंड सरकार ने की थी। मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड शामिल हैं। इस बैठक में कुल 16 मुद्दों पर चर्चा हुई। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बैठक में 9 मुद्दों का समाधान किया गया। हल किए गए मुद्दों में कोदो और कुटकी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) में लाख की खेती को शामिल करना, दून वैली अधिसूचना की समीक्षा, विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना के तहत बाजार शुल्क, किसान कल्याण शुल्क और मंडी श्रमशुल्क की समीक्षा, केंद्रीय पूल में वितरित गेहूं और चावल के अंतिम व्यय का निर्धारण,वन भूमि के व्यापवर्तन (डायवर्सन) की अनुमति और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वन भूमि पर निर्माण कार्य की अनुमति देना आदि जैसे मुद्दे शामिल थे।

राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रायोजित किए जा रहे मुद्दों के अलावा, क्षेत्रीय परिषदें, राष्ट्रीय प्राथमिकता के कई मामलों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अनुसरण और उनके प्रतिसजगता बढ़ाने के प्रयास भी कर रही हैं। इनमें ईंट-और-मोर्टार बैंक शाखाओं/इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) टच-प्वाइंट के माध्यम से सभी गांवों का कवरेज, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का कार्यान्वयन, और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध/बलात्कार के मामलों की त्वरित जांच और बलात्कार तथा पॉक्सो अधिनियम के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की योजना का कार्यान्वयन शामिल है। चालू वर्ष से, इन बैठकों में उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता के तीन नई मुद्दों पर भी चर्चा की जा रही है। इनमें (1) पोषण अभियान के माध्यम से बच्चों में कुपोषण को दूर करना,(2) स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाना,और (3)आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) के तहत सार्वजनिक अस्पतालों का प्रदर्शन शामिल है।

माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के कुशल मार्गदर्शन में,मध्य क्षेत्र सहित क्षेत्रीय परिषदों के कई जटिल मामलों और नीतिगत मुद्दों पर सफल चर्चा हुई है और उनका समाधान हुआ है। साथ ही राज्यों के बीच आपसी सहयोग आपसी सहयोग और सुदृढ़ हुआ है। क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें, केंद्र और राज्यों के बीच आपसी सहयोग का एक सेतु और विचारों तथा अनुभवों को साझा करने और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए एक प्रभावी मंच हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री को,सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद के साझा विषय पर एक साथ लाने और अमृत काल से गुजरते हुए वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की उनकी शक्तिशाली विजन के लिए धन्यवाद देता हूं।

(लेखक उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री हैं)

24 सितंबर, 2023 को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन -2023 के समापन सत्र को संबोधित किया।

17 सितंबर को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने तेलंगाना में हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। श्री अमित शाह ने ₹20 करोड़ की लागत वाले सशस्त्र सीमा बल, इब्राहिमपटनम के 48 टाइप-III पारिवारिक आवास का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास भी किया।

ऐतिहासिक नगरी अयोध्या में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक, श्री एस॰ एल॰ थाओसेन ने निमार्णाधीन राममंदिर की सुरक्षा की समीक्षा की। वहां समर्पण भाव से स्थल को सुरक्षित करने के लिए सीआरपीएफ जवानों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने अयोध्या के पुलिस महानिरीक्षक व अन्य अधिकारियों से बात की।

हर प्रतिकूल परिस्थिति में स्वयं को सशक्त साबित करने की मंशा के साथ सशस्त्र सीमा पुलिस बल के जवान कठिन प्रशिक्षण प्रक्रिया से गुजरते हैं। 'पुलिस और सेवा' यू-ट्यूब चैनल के माध्यम से सशस्त्र सीमा बल के तमाम प्रशिक्षण केंद्रों में किए जा रहे कार्यों को पूरे देश के सामने रखा जाता है।

भारत के वीर

देश के जवानों को श्रद्धांजलि और समर्थन https://bharatkeveer.gov.in

दिशा-निर्देश

- आप सीधे भारत के वीर के खाते में (अधिकतम ₹15 लाख तक) दान कर सकते हैं या भारत के वीर कोष में दान कर सकते हैं।
- अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, प्रति वीर ₹15 लाख की सीमा तय की गई है और यदि राशि ₹15 लाख से अधिक है तो दाता को सतर्क किया जाएगा, ताकि वे या तो अपने योगदान को कम करने या योगदान के हिस्से को किसी अन्य भारत के वीर के खाते में डालने का विकल्प चुन सकें।
- भारत के वीर फंड का प्रबंधन प्रतिष्ठित व्यक्तियों और समान संख्या में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जो आवश्यकता के आधार पर भारत के वीर परिवार को समान रूप से फंड वितरित करने का निर्णय लेंगे।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के लिए फार्च्यूना पब्लिक रिलेशंस प्रा. लि. नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित व विबा प्रेस प्रा.लि.,नई दिल्ली द्वारा मुद्रित

न केवल संकट के समय, बल्कि उत्सव के समय में भी भारत ने विश्व को प्रभावित किया है। इस महान राष्ट्र की विविधता को 60 से अधिक शहरों में जी20 कार्यक्रमों और दिल्ली में शिखर सम्मेलन के दौरान प्रदर्शित किया गया। यह सहकारी संघवाद की शक्ति है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110037